न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 151/19 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :–

1. श्योराम पुत्र चन्दर
2. जयमल पुत्र चन्दर
3. भगतराम पुत्र जीवला पौत्र चन्दर
4. बाबूलाल पुत्र जीवला पौत्र चन्दर
5. रामकिशोर पुत्र शिम्भू पौत्र चन्दर
6. माया पत्नी प्रकाश पौत्र चन्दर
7. राजेन्द्र पुत्र प्रकाश पडपौत्र चन्दर
8. उमेश पुत्र प्रकाश पडपौत्र चन्दर
9. फूलसिंह वारिस नेकीराम जरिये वसीयत

जतियान गूर्जरान निवासीयान ग्राम नांगल रानिया तह0 मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:------ अपीलांटान

बनाम

1 हांसानन्द पुत्र ठाकरीबाई बेवाह बसुमल जाति खत्री निवासी ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर

2 मिरचूमल पुत्र कुन्दरमल जाति खत्री निवासी ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

3 लैंड होल्डर तहसीलदार मुण्डावर

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, मुण्डावर
दिनांक 30.7.2019

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री जनार्दन शर्मा

निर्णय दिनांक 09.10.2019

---

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, मुण्डावर द्वारा राजस्व वाद संख्या 245/2016 में पारित निर्णय दिनांक 30.7.2019 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का वाद मृतक प्रतिवादीगण नम्बर 01 एवं 02 के विरूद्ध प्रभाव शून्य करार देते हुये खारिज किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत किया । दौराने विचारण वाद प्रार्थी/प्रतिवादी हंसानन्द की ओर से एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया था कि प्रतिवादी नम्बर 01 मिरचूमल की मृत्यु करीब 3 साल हो गई थी तथा प्रतिवादी नम्बर 02 ठाकरीबाई की मृत्यु करीब 2 साल पूर्व हो गई थी । दोनों प्रतिवादीगण की मृत्यु दावा दायरी से पूर्व हीं हो चुकी है । कानूनन मृतक व्यक्ति के विरूद्ध दावा नहीं लाया जा सकताए है । मृतक व्यक्ति के खिलाफ दावा शून्य है । अतः वाद पत्र खारिज किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा उक्त वाद पत्र प्रभाव शून्य मानते हुये खारिज किया है,जिसकी यह अपील है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि प्रार्थी प्रतिवादी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र के पक्ष में मृत्यु प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये । किसी प्रकार कोई शपथ पत्र इस आशय प्रस्तुत नहीं किया कि प्रतिवादीगण नम्बर 01 व 02 फौत हो चुके थे । हमको साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया । अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जब यह तथ्य आ गया था कि हांसानन्द प्रार्थी ठाकरी बाई का वारिस है, तब अधिनस्थ न्यायालय को हांसानन्द को प्रतिवादी का वारिस मानते हुये मृतक के स्थान

9/10

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

पर उसका नाम अंकित किया जाना चाहिये था । तहत अदालत का यह कर्त्तव्य था कि वो प्रार्थी हांसानन्द को यह निर्देश देती कि वो मृतक के वारिसों की सूची न्यायालय में प्रस्तुत करें, जिससे कि मृतक के स्थान पर उनका नाम वाद पत्र में अंकित कराया जा सके । तहत अदालत ने मात्र प्रतिवादी प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर वाद खारिज कर दिया, जो कि न्यायसंगत नहीं है । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा तहत अदालत के निर्णय का अवलोकन किया गया । तहत अदालत में रेस्पो0 की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है । जिसके अनुसार अपीलांट वादी के दावे को शून्य घोषित किया है । जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की है ।

5 चूंकि तहत अदालत में मृतक प्रतिवादियों के वारिसान को रिकार्ड पर लेने का प्रश्न था तथा यह भी तय होना था कि क्या प्रतिवादी फौत हो गये हैं । अपील में अपीलांट का मुख्य बिन्दू यह है कि उन्हें यह अवसर ही नहीं दिया गया कि जिससवे वो सिद्ध कर सके कि क्या प्रतिवादीगण फौत हो गये हैं या नहीं । क्या रेस्पो0 तहत अदालत में पक्षकार मुकदमा हो सकते हैं ।

6 अतः इस आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा तहत अदालत का आदेश दिनांक 30.7.19 निरस्त किया जाता है तथा अपीलांट को आदेश है कि वो विधि के प्रावधानों के अनुसार पुनः नये सिरे से दावा पेश करे, जिसमें प्रतिवादीगण के सम्बन्ध में सही जानकारी करके उन्हें पक्षकार मुकदमा बनाये ।

7 निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 9.10.2019 को सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

9.10.19

(कमल राम मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner